कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

अमेरिका-ईरान तनाव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते टकराव से सप्लाई बाधित

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया और यह एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, वार्ता के विफल होने और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न गंभीर अनिश्चितता के कारण देखी गई है. ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत करीब 7.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 102.80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि पश्चिम टेक्सास मध्यवर्ती कच्चा तेल 8.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 104.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा. दोनों बेंचमार्क में यह उछाल दर्शाता है कि वैश्विक निवेशक कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और बाजार में जोखिम प्रीमियम तेजी से बढ़ गया है.

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हालिया वार्ता का विफल होना है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक गहरा गया है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी या सख्त नियंत्रण जैसे कदमों पर विचार कर सकता है.

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली लौट आयी और प्रमुख सूचकांक करीब एक प्रतिशत की गिरावट में बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स 702.68 अंक (0.91 प्रतिशत) गिरकर 76,847.57 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 207.95 अंक यानी 0.86 फीसदी नीचे 23,842.65 अंक पर रहा. अमेरिका और ईरान के बीच हार्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग की घेराबंदी और अपनी शर्तों पर जहाजों को निकलने की अनुमति देने की घोषणा की है. इससे निवेशकों में ईरान युद्ध के स्थायी समाधान को लेकर निराशा बढ़ी है. मझौली और छोटी कंपनियों में भी बिकवाली का जोर देखा गया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.77 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.46 प्रतिशत गिर गया. सभी सेक्टरों में बिकवाली हावी रही. ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया और उसका सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक टूट गया.

ड्रोन तकनीक में भारत-यूके का बड़ा कदम

नई दिल्ली 13 अप्रैल भारत में उन्नत एयरोस्पेस तकनीक के विकास को नई गति देते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) ने 'बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक-ऑफ' परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

जंप टेक-ऑफ तकनीक विकसित

एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती

यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत-यूके सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कंपनी केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटेन की एआरसी एयरोसिस्टम्स लिमिटेड के बीच साझेदारी में लागू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य हाइब्रिड प्रणोदन आधारित उन्नत टेक-ऑफ प्रणाली विकसित करना है, जो मानव रहित हवाई वाहनों और हल्के विमान प्लेटफॉर्म की परिचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके।

यह परियोजना विशेष रूप से 'जंप टेक-ऑफ' तकनीक पर केंद्रित है, जो पारंपरिक रनवे की आवश्यकता को कम करते हुए छोटे या सीमित स्थानों से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती है। प्रस्तावित प्रणाली में हाइब्रिड प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक ईंधन और इलेक्ट्रिक ऊर्जा दोनों का संयोजन होगा। इससे विमान को न केवल अधिक दक्षता मिलेगी, बल्कि ऊर्जा खपत भी कम होगी और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी।

परियोजना के तहत रोटरक्राफ्ट प्रणोदन प्रणालियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए एक अत्याधुनिक टेस्ट बेंच सुविधा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली होगी और देश के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और एयरोस्पेस डेवलपर्स को अपने उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध होगा।

सोना-चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत तक गिरावट

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक बाजारों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कीमती धातुओं—सोना और चांदी—की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी की घोषणा के बाद निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे सोना और चांदी दोनों में लगभग 2 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली.

घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना वायदा करीब 0.78 प्रतिशत गिरकर 1,51,457 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 2.5 प्रतिशत टूटकर 2,37,190 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.

वैश्विक बाजार में भी दबाव देखने को मिला, जहां कॉमेक्स सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट दर्ज की गई. विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

हडको-एनबीसीसी एमओयू से पुनर्विकास को बढ़ावा

नई दिल्ली, 13 अप्रैल संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको औरडॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 11 अप्रैल 2026 को दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापनों को राधा रॉय, कार्यपालक निदेशक, हडको; भूषण कुमार, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), हडको और प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया. इस अवसर पर दोनों संगठनों के प्रकार्यात्मक निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.

पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर एनबीसीसी के स्व-संधारणीय मॉडल की चल रही और आगामी परियोजनाओं के लिए ब्लॉक नंबर 25, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में लीजहोल्ड प्लॉट के पुनर्विकास और हडको द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

इससे एनबीसीसी की स्व-संधारणीय मॉडल पर पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निधि उचित निबंधन और शर्तों पर प्राप्त की जाएगी. इससे न केवल परियोजनाओं को आरंभ करने में तेजी आएगी, बल्कि मूल्यवान सेवार्थियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन) में भी वृद्धि होगी.

उम्मीद है कि इस साझेदारी से परियोजना निष्पादन में तेजी आएगी, परिसंपत्ति मूल्य संवर्धित होगा और शहरी अवसंरचना के विकास में योगदान मिलेगा.

सिस्टमैटिक निवेश योजना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, भले ही इक्विटी बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला हो.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 12.2 प्रतिशत बढ़कर 73.73 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. पूरे वित्त वर्ष के दौरान निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी रही, जिससे उद्योग के एसेट बेस में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मार्च महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों की रुचि में तेज उछाल देखने को मिला. सक्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी फंड्स में निवेश बढ़कर 40,450.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. फरवरी की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाजार में अस्थिरता के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

इस दौरान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. मार्च में एसआईपी निवेश 32,087 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो फरवरी के 29,845 करोड़ रुपये से अधिक है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि खुदरा निवेशक लंबी अवधि की रणनीति के साथ बाजार में लगातार निवेश कर रहे हैं, भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई हो. हालांकि, समग्र रूप से म्यूचुअल फंड उद्योग में मार्च के दौरान 2.39 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निकासी (नेट आउटफ्लो) भी दर्ज किया गया, जो फरवरी में हुए 94,530 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश की तुलना में एक बड़ा बदलाव है.

भारत डेटा सेंटर बाजार 2030 में होगा दोगुना

एआई निवेश और सरकारी प्रोत्साहनों से भारत बनेगा एशिया का प्रमुख डेटा हब

नई दिल्ली, 13 अप्रैल भारत का डेटा सेंटर बाजार आने वाले वर्षों में तेज गति से विस्तार करने की ओर बढ़ रहा है. वेस्टियन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक दोगुना से अधिक बढ़कर लगभग 22 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि वर्ष 2025 में इसका आकार करीब 10 अरब डॉलर आंका गया है.

मजबूत डिजिटल मांग, बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता और वैश्विक कंपनियों के निवेश के चलते भारत तेजी से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में डेटा सेंटर क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है. लगभग 30 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत की क्षमता वर्ष 2026 के अंत तक 1.7 से 2.0 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 4 से 5 गीगावॉट तक हो सकती है. यह विस्तार मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी और हाइपरस्केलर कंपनियों की बढ़ती भागीदारी इस क्षेत्र के विकास को नई गति दे रही है. देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग में भी भारी उछाल देखा जा रहा है. वेस्टियन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव ने कहा कि मजबूत नीतिगत समर्थन और डिजिटल मांग में वृद्धि के कारण भारत का डेटा सेंटर क्षेत्र तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक क्षमता में भारत की हिस्सेदारी अभी सीमित है, लेकिन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में देश की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

एमजीआर के नाम पर चुनाव जीतने की होड़

चेन्नई. इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अन्ना-द्रमुक के आइकॉन एमजी रामचंद्रन का नाम लेने से राजनीतिक पार्टियों को वोट हासिल होते हैं. एमजीआर के निधन के 40 वर्ष बाद भी तमिलनाडु के सियासी दलों को लगता है कि उनका नाम लेने से उन्हें चुनावी सफलता हासिल हो जाएगी.

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक स्वायत्त संस्थान)

आईआईएसईआर तिरुपति में संकाय पदों पर भर्ती

आईआईएसईआर तिरुपति भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें भारतीय मूल के पात्र व्यक्ति (पीआईओ), भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं, जिनके पास नियमित आधार पर विभिन्न विषयों में संकाय पदों के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक कार्य अनुभव है।
विस्तृत विज्ञापन के लिए, कृपया www.iisertirupati.ac.in >>Careers>>Faculty पर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि: 13 अप्रैल, 2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई, 2026 को 17.00 बजे है।
हस्ता./- निदेशक
विज्ञापन संख्या 22/2026/आईआईएसईआर-टी/रेक्ट. /13.04.2026 cbc21377/12/0004/2627

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in
क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2026/10 दिनांक: 14.04.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश क्षेत्र में जोखिम एवं खर्च पर नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।
महाप्रबंधक (क्षेत्र)

भारतीय स्टेट बैंक, कटारा हिल्स शाखा, भोपाल

आधिपत्य नोटिस (स्थावर सम्पत्ति) [13(4)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋणी एवं जमानतदारों को मांग सूचना पत्र दिनांक 02.02.2026 को जारी किया। इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने केलिये कहा गया था। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पति को दिनांक 08.04.2026 को कब्जे में लिया है। ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत् किए गये कोई भी व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय ब्याज एवं खर्चों के अध्यधीन प्रभार (Charge) होगा। इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणकर्ता/कर्ताओं का नाम: मैसर्स सत्यवान ग्रुप ऑफ कम्पनी
प्रो. श्री यश श्रीवास्तव
पता: 201, सैनी वैली, अमलतास एवेन्यू के बगल में, कटारा हिल्स बस स्टश्प के पास, भोपाल- 462043
बकाया राशि: 50,73,835.43 (पचास लाख तेहत्तर हजार आठ सौ पैंतीस रुपये तिरतालीस पैसे मात्र) देय ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय।
सुरक्षित संपत्ति: अचल संपत्ति आवासीय फ्लैट नंबर ए-602, हेवन्स हाइट्स, हेवन लाइफ कैंपस, खसरा नंबर 170/1, 172/1, 172/2, 169/2 का हिस्सा, सिग्नेचर सिटी के पास, गांव बागली, कटारा हिल्स रोड, वार्ड नंबर 85, पह नंबर 43/25, हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल: 117.33 वर्गमीटर, सीमाएँ: उत्तर- ए-603, दक्षिण- रोड, पूर्व- ए-601, पश्चिम- सड़क। सपंत्ति मालिक: श्रीमती माधवी गोयल पत्नि श्री विपीन गोयल।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 14.04.2026
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अधिकृत अधिकारी

केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

ऑफसेट प्रिंटरों का पैनल में शामिल होना

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (मध्य प्रदेश) प्रतिष्ठित ऑफसेट प्रिंटरों को सूचीबद्ध करना चाहता है, जो भोपाल या इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित हों और कारखाना अधिनियम के तहत बहुरंगी पोस्टर, फोल्डर, पुस्तिकाएं, कैलेंडर, डायरी और न्यूजलेटर आदि जैसे प्रचार सामग्री की थोक छपाई के लिए पंजीकृत हों। उपयुक्त मशीनरी/उपकरण और बुनियादी ढांचे से लैस और गुणवत्तापूर्ण प्रिंटिंग का अनुभव रखने वाले इच्छुक प्रिंटर निर्धारित प्रपत्र में ही 'सूचीबद्धता' के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रपत्र 30.04.2026 (शाम 5 बजे तक) या उससे पहले जमा करना होगा। आवेदक को आवेदन के साथ प्रसंस्करण शुल्क के रूप में डीडीओ, सीबीसी, आरओ भोपाल के पक्ष में जारी किया गया 1000/- रुपये (अप्रतिदेय) का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जमा करना होगा। मौजूदा सूचीबद्ध प्रिंटरों को भी नए सिरे से आवेदन करना होगा।

मशीनरी और उपकरणों आदि के लिए श्रेणीवार न्यूनतम आवश्यकताओं के विवरण सहित निर्धारित प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.cbcindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।
इसे डाउनलोड किया जा सकता है और आवेदन की भौतिक प्रति, प्रसंस्करण शुल्क/संलग्नक/अटैचमेंट/नमूने के साथ 30.04.2026 (शाम 5 बजे तक) को या उससे पहले सीबीसी आरओ भोपाल स्थित निम्नलिखित पते पर जमा करनी होगी।

केंद्रीय संचार ब्यूरो
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)
तीसरी मंजिल, दूरदर्शन केंद्र परिसर
श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462002
टेलीफोन नंबर – 0755-2581051
ईमेल – ro.bhopal.dfp@nic.in, rob.bhopal1@gmail.com
CBC 22204/11/0001/2627

In The Court Of Ist Additional District Judge, Begumganj, District Court, Raisen
Presiding Officer: श्रीमती सविता ओगले
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेत)
(RCSA/0000058/2024)
श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ...वादी
Vs
अशोक श्रीवास्तव ...प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक:- 18/04/2026

प्रेषिती-
(1) बाबूलाल पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव पता-निवासी मार्फत अभिषेक श्रीवास्तव अंजली धाम कालोनी सेकडाखेडी सीहोर जिला सीहोर म.प्र.
(2) श्रीमती रंजना अवस्थी पिता बाबूलाल श्रीवास्तव पत्नि सूर्यकांत पता-निवासी राजाभोज फेज गांधी नगर भोपाल म.प्र.
(3) रश्मि श्रीवास्तव पिता बाबूलाल पता- निवासी 402 समाधिया शिवम काम्पलेक्स ग्वालियर म.प्र

यह कि प्रार्थी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने आपके विरूद्ध वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें.

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 10 अप्रैल 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

(सील)
न्यायाधीश
श्रीमती सविता ओगले
प्रथम जिला न्यायाधीश
बेगमगंज, जिला रायसेन

यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
मंडल कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2550020

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) [परिशिष्ट -IV के अन्तर्गत नियम-8 (1)]

सेक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत और सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पठित सेक्शन 13 (2) नियम 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/ जमानतदारों को डिमांड नोटिस एवं नोटिस में दर्शायी गई निम्न वर्णित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए जारी किया गया था। उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल रहा है, उधारकर्ता एवं जमानतदार/संपत्ति मालिक द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों एवं जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13 की उपधारा 4 के नियम 8 के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 09/04/2026** को ले लिया है। उधारकर्ता एवं जमानतदार / संपत्ति मालिक को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **पंजाब नैशनल बैंक** के अधीन होगा। उधारकर्ताओं / जमानतदार / बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में निहित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के प्रावधान की ओर आमंत्रित है।

ऋणी /उधारकर्ता/ जमानतदार का नाम	कब्जा की गई सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
(1) श्री नारायण सोनी पुत्र श्री पगलानन्द सोनी (2) श्रीमती अर्चना सोनी पत्नी श्री नारायण सोनी पता: मकान नंबर 128, भव्या सिटी फेज़ 2, जियो मोबाइल टावर के पास, सारंकिया मंडीदीप, रायसेन (म.प्र.)-462046	भव्य सिटी, फेज-II में स्थित प्लाटनं. 128 (कार्नर) पर बने आवासीय मकान का वह भाग, जो खसरा नं.179/2/1, 179/2/2, 179/1/2/1/1/2/8/1, 179/2/3 और 179/1/2/1/1/2/9 का हिस्सा है, पह नं. 04, ग्राम सरंकिया, वार्ड नं. 26, मंडीदीप, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, म.प्र., क्षेत्रफल 538.97 वर्ग फुट (50.09 वर्ग मीटर), सीमाऐं: पूर्व-कॉलोनी रोड, पश्चिम- प्लाट नं. 99, उत्तर: अर्धनिर्मित भवन नं. 127, दक्षिण-कॉलोनी रोड, संपत्ति मालिक: श्री नारायण सोनी पुत्र श्री पगलानंद सोनी और श्रीमती अर्चना सोनी पत्नी श्री नारायण सोनी	₹ 17,47,519.67 + देय ब्याज एवं अन्य खर्च नोटिस दिनांक / कब्जा दिनांक 17-01-2026 09-04-2026

वैधानिक सूचना: ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित (**Noticed**) किया जाता है कि इस नोटिस के छ्पने की तारीख के 30 दिनों के अंदर उपरोक्त राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं खर्चों का भुगतान कर देवें अन्यथा उक्त वर्णित संपत्ति की नीलामी कर दी जावेगी तथा उसके बाद शेष ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चे सहित ऋणी एवं जमानतदारों से की जावेगी। दिनांक: 09/04/2026, स्थान: भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	125572434	होम लोन	20.03.2026	6,22,282.88/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. भगवान सिंह चौहान 2. चंद्रकला बाई चौहान

संपत्ति का पता: प्लॉट संख्या 423 (पी), सर्वे संख्या 771 (बी), पी.एच. संख्या 23, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 141 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्रफल (ग्राउंड फ्लोर) 141 वर्ग मीटर, ग्राम करेदी, तहसील और जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का वह भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः लक्ष्मीनारायण जी का घर, पूर्वः सड़क, पश्चिमः अनार सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	44845915	होम लोन	14.03.2026	2,33,316.65/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. धर्मेंद्र महेश 2. कौशल्याबाई महेशबाबू

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश राज्य-466665 के श्यामपुर तहसील के श्यामपुर स्थित सर्वे संख्या/आबादी खसरा संख्या 83 के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्ति (आवासीय मकान) का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 24 x 24 = 576 वर्ग फुट (53.51 वर्ग मीटर) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में बाफुलल का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रामचरण का मकान, दक्षिण में रमेश मीना का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	152549705.	संपत्ति के बदले ऋण	07.03.2026	5,17,499.30/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. कालू सिंह सोंधिया 2. रतन बाई सोंधिया 3. नारूजी सोंधिया

संपत्ति का पता: प्लॉट संख्या 30, सर्वे संख्या 13, पीएच नं. 21 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1087 वर्ग फुट या 101 वर्ग मीटर है, निर्मित क्षेत्र ग्राउंड फ्लोर (RCC) 1087 वर्ग फुट (101 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम मोठबदली, तहसील सुथलिया, जिला राजगढ़, राम मंदिर के पास, राजगढ़, मध्य प्रदेश - 465677 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रास्ता, पश्चिम में अमर सिंह का प्लॉट, उत्तर में मंगिलाल का घर, दक्षिण में अमर सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	14122621	संपत्ति के बदले ऋण	02.04.2026	22,56,698.04/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. करण वर्मा 2. हेमलता पत्नी करण सिंह

संपत्ति का पता: खसरा क्रमांक 160/2 के भाग में स्थित वह भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट है, यानी 232.24 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र 1800 वर्ग फुट), नीलबाद, पी.एच. क्रमांक 33, वार्ड क्रमांक 26, तहसील हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462044 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः पूनम सिंह का भूखंड, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य की संपत्ति।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	135078777	संपत्ति के बदले ऋण	18.03.2026	8,39,507.02/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. महेश मीना 2. राजल बाई

संपत्ति का पता: सर्वे संख्या-631, मकान संख्या 21, ग्राम कुंवर कोट्री, पी.एच. में स्थित अचल संपत्ति (आवासीय मकान) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1470 वर्ग फुट (136.617 वर्ग मीटर) और निर्मित आरसीसी (भूतल) क्षेत्रफल 1470 वर्ग फुट (136.617 वर्ग मीटर) है। क्रमांक 20, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश राज्य, और निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ: उत्तरः गीता प्रसाद का घर, दक्षिणः लखन मीना का घर, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः रास्ता

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 14.04.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)